उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-13/2016/390/92-2-16-100जांच/2012

लखनऊ:: दिनांक:: 31 मार्च, 2016

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड- इलाहाबाद में अधिशासी अभियंता के पद पर कार्यरत रहने के दौरान उ0प्र0 सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता से संबंधित डॉ0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना की निविदाओं तथा गुणवत्तापूर्वक कार्य सम्पादन हेतु उ0प्र0 शासन द्वारा परिचालित दिशा-निर्देशों, वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं उच्चाधिकारियों के आदेशों का उल्लंघन करने तथा कर्मचारी आचरण नियमावली में इंगित नियमों के विपरीत आचरण करते हुये ठेकेदार के साथ दुरभि संधि करते हुये उन्हें प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाने, शासकीय क्षति कारित करने एवं अपने पद के दायित्व व कर्तव्यों का निर्वहन ठीक से न करने आदि अनियमितताओं में प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2761/92-13-100जांच/2012, दिनांक 01-08-2013 द्वारा श्री के0 एस0 तिवारी, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-इलाहाबाद के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु मुख्य अभियंता (प0क्षे0) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को पदेन जॉच अधिकारी नामित किया गया। कालान्तर में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त कार्यालय ज्ञाप संख्या-3230/ 92-2014-100जांच/2012 दिनांक 21-08-2014 द्वारा जॉच अधिकारी परिवर्तित करते हुये मुख्य अभियंता (प0क्षे0) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के स्थान पर मुख्य अभियंता, (पू0क्षे0) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को पदेन जॉच अधिकारी नामित किया गया। मुख्य अभियंता,(पू0क्षे) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0-लखनऊ के पत्र दिनांक 16-02-2016 द्वारा जॉच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी। जांच अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी जॉच आख्या में अपचारी अधिकारी श्री के0 एस0 तिवारी के विरूद्व अधिरोपित कोई आरोप स्थापित नही पाये गये।

2- अपचारी अधिकारी के विरूद्व अधिरोपित आरोप, जॉच अधिकारी की जॉच आख्या एवं संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त शासन द्वारा पाया गया कि अपचारी अधिकारी के विरूद्व अधिरोपित कोई आरोप स्थापित नही होता है। अतएव शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2761/92-13-100जांच/2012 दिनांक 01-08-2013 द्वारा श्री के0 एस0 तिवारी, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड- इलाहाबाद के विरूद्व संस्थित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अनुशासनिक कार्यवाही को आरोप स्थापित न पाये जाने के आधार पर एतदद्वारा समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

अजय कुमार सिंह
सचिव।

संख्या- 13/2016/390(1)/92-2-2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

2- श्री के0 एस0 तिवारी, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड- इलाहाबाद द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, (स्था0-1) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0पी0 सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।